अनुदान संख्या 93 – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 93–ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*1,00*	*87*	*–13*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	870,82,00	870,83,00	826,97,10	–43,85,90
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				36,82,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	211,40,00	219,76,00	217,42,02	–2,33,98
पूरक	Supplementary	8,36,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क – गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2055''	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	4716.00	4010.96	3987.10	–23.86
पु.	R.	–705.04			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	1594.00	8.46	8.42	–0.04
पु.	R.	–1585.54			
ग- ग्रामीण विकास मंत्रालय	**C- Ministry of Rural Development**				
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	2103.00	1700.00	1700.53	+0.53
पु.	R.	–403.00			
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	2460.00	2600.96	2582.15	–18.81
पु.	R.	140.96			
घ- विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	11634.00	11967.80	11861.11	–106.69
पु.	R.	333.80			
च- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	**F-Ministry of Environment and Forests**				
मुख्य शीर्ष "2406" वानिकी तथा वन्य प्राणी	Major Head "2406" Forestry and Wild Life				
मू.	O.	4800.00	4644.07	4631.97	–12.10
पु.	R.	–155.93			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving–
छ- खाद्य मंत्रालय	**G-Ministry of Food**				
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	1988.00	1819.00	1787.25	–31.75
पु.	R.	–169.00			
ञ- शिक्षा विभाग	**J-Department of Education**				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	8791.00	8980.49	8941.54	–38.95
पु.	R.	189.49			
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	464.00	692.33	685.57	–6.76
पु.	R.	228.33			
द- भूतल परिवहन मंत्रालय	**R-Ministry of Surface Transport**				
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
पत्तन एवं प्रकाशस्तम्भ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	5002.00	4866.27	4804.79	–61.48
पु.	R.	–135.73			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
जहाजरानी	Shipping				
मू.	O.	14612.00	14087.00	14080.47	–6.53
पु.	R.	–525.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges					
मू.	O.	3953.00		3245.00	3250.53	+5.53
पु.	R.	–708.00				
फ- शहरी विकास मंत्रालय	**V- Ministry of Urban Development**					
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works					
मू.	O.	7164.00		6705.00	6766.94	+61.94
पु.	R.	–459.00				
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति तथा सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation					
मू.	O.	800.00		778.00	777.57	–0.43
पु.	R.	–22.00				
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development					
मू.	O.	924.00		1049.00	1048.33	–0.67
पु.	R.	125.00				

(I) 189.13 लाख रु. का प्रावधान उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 105.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2202" - "प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - सर्व शिक्षा अभियान" के अंतर्गत वार्षिक योजना स्कीम में संघ राज्य क्षेत्र के भाग को शामिल न किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.189.13 lakhs remained wholly unutilised under nineteen heads; of these Rs.105.00 lakhs alone was under Major Head "2202" - "Elementary Education – Other Expenditure - Sarva Shiksha Abhiyan" – due to non-inclusion of Union Territory's share in annual plan scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "2055" - "विशेष पुलिस - भारतीय रिज़र्व बटालियन" के अंतर्गत 538.76 लाख रु. की बचत

(II) Under Major Head "2055"- "Special Police – Indian Reserve Battalion" - saving of Rs.538.76 lakhs (against the sanctioned provision

(1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय रिज़र्व बटालियन के स्टॉफ की भर्ती में विलंब होने के कारण हुई।

of Rs.1200.00 lakhs) was due to delay in recruitment of staff for Indian Reserve Battalion.

(III) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - वन अतिक्रमणकर्ताओं का पुनर्वास/की पुनः स्थापना'' के अंतर्गत 1587.04 लाख रु. की बचत(1592.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के कारण प्रशासन द्वारा प्रस्तावित पुनर्वास पैकेज को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2235" – "Rehabilitation - Other Rehabilitation Schemes - Rehabilitation/Resettlement of Forest Encroachers" - saving of Rs.1587.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1592.00 lakhs) was due to non-implementation of rehabilitation package proposed by the Administration on account of stay imposed by the Hon'ble Supreme Court.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल पूर्ति'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित तीन शीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमान को तदर्थ आधार पर निर्धारित किए जाने से वार्षिक योजना स्कीम के संबंध में परिव्यय में कमी किए जाने के कारण हुईः-

(IV) Under Major Head "2215"- "Water Supply" - savings occurred due to reduction of outlay in the Annual Plan Scheme as budget estimate was fixed on ad-hoc basis under the following three heads :-

(का) ''जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत - जिला परिषद''- 195.00 लाख रु. की बचत (401.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Zilla Parishad/ District Level Panchayat - Zilla Parishad"- saving of Rs.195.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.401.00 lakhs);

(खा) ''ब्लाक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें - पंचायत समिति''- 204.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Block Panchayat/Intermediate level Panchayat - Panchayat Samiti" – saving of Rs.204.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(गा) ''ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत को सहायता''- 204.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Gram Panchayat – Aids to Gram Panchayat" – saving of Rs.204.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs).

(V) मुख्य शीर्ष ''2406'' - ''वानिकी - वन संरक्षण, विकास एवं पुनरूद्धार - वन विकास'' के अंतर्गत 143.07 लाख रु. की बचत (2356.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वन सुरक्षा गारद और वन रेंजर के रिक्त पदों के न भरे जाने तथा भंडारों की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2406" – "Forestry - Forest Conservation, Development and Regeneration - Forest Development" - saving of Rs.143.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2356.90 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts of Forest Guard and Forest Ranger and non-procurement of stores.

(VI) मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''खाद्य- अधिप्राप्ति एवं पूर्ति - चावल की खरीद'' के अंतर्गत 169.11 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय खाद्य निगम के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2408" - "Food - Procurement and Supply – Purchase of Rice"– saving of Rs.169.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years with Food Corporation of India.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3051'' - ''लघु पत्तन - नौभरक - अंडमान श्रमिक बल'' के अंतर्गत 125.00 लाख रु. की बचत

(VII) Under Major Head "3051" - "Minor Ports - Stevedoring - Andaman Labour Force"– saving

(466.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्गो के कंटेनर सेवा की वजह से प्रोत्साहन भत्ते की अदायगी में कमी किए जाने के कारण हुई।

of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.466.20 lakhs) was due to reduction in payment of incentive allowance owing to containerisation of cargo.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3052" - "तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं - अंतःद्वीप जलयानों के प्रचालनात्मक प्रभार" के अंतर्गत 831.45 लाख रु. की बचत (1610.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा की अपेक्षा नए जलयान विलंब से पहुंचने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head "3052" – "Coastal Shipping - Shipping Services - Operational Charges of Inter-Islands vessels" – saving of Rs.831.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1610.00 lakhs) was due to late arrival of new vessels than anticipated.

(IX) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला और अन्य सड़कें" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित तीन शीर्षों के अंतर्गत योजना के आबंटन में कमी किए जाने के कारण हुई क्योंकि बजट अनुमान तदर्थ आधार पर निर्धारित किया गया था:-

(IX) Under Major Head "3054"- "District and Other Roads" - savings occurred due to reduction of plan allocation as budget estimate was fixed on ad-hoc basis under the following three heads:-

(का) "जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत - जिला परिषद"- 252.00 लाख रु. की बचत (771.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Zilla Parishad/District level Panchayats – Zilla Parishad" – saving of Rs.252.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.771.00 lakhs);

(खा) "ब्लॉक पंचायतें/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतें - पंचायत समिति"- 248.00 लाख रु. की बचत (766.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Block Panchayats/ Intermediate level Panchayats – Panchayat Samiti" – saving of Rs.248.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 766.00 lakhs); and

(गा) "ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत को सहायता"- 248.00 लाख रु. की बचत (766.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Gram Panchayat – Aids to Gram Panchayat" – saving of Rs.248.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.766.00 lakhs).

(X) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य - उचंत - स्टॉक" के अंतर्गत 461.70 लाख रु. की बचत (4219.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एपीडब्ल्युडी के विभिन्न प्रभागों द्वारा कम आवश्यकताएं होने की वजह से भंडारों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(X) Under Major Head "2059" – "General - Suspense – Stock" – saving of Rs.461.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4219.00 lakhs) was due to non-procurement of stores owing to less requirements by various Divisions of APWD.

(XI) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - पोर्ट ब्लेयर नगर निगम क्षेत्र को जल पूर्ति कार्यक्रम" के अंतर्गत 147.43 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(XI) Under Major Head "2215"- "Water Supply - Urban Water Supply Programme – Water Supply Programme to Port Blair Municipal area" – saving of Rs.147.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs) was due to slow progress of on going works.

(XII) आठ शीर्षों के अंतर्गत 562.48 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 61 प्रतिशत तक थीं।

(XII) Under eight heads savings of Rs.562.48 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 61 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1416.14 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांग के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2215'' - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - ग्रामीण पाइप जल पूर्ति''- 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 200.53 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2515'' - "ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत को सहायता''- 204.14 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 203.77 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2202'' - "प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - मध्याह्न भोजन''- 260.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 259.94 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष "2203'' - "पालिटेक्निक्स - विश्व बैंक की सहायता से तृतीय तकनीशियन शिक्षा का सुदृढ़ीकरण''- 202.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.22 लाख रु. था।

(ङ) मुख्य शीर्ष "3052'' - "तटीय जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं - मुख्य द्वीप जलयानों के प्रचालनात्मक प्रभार''- 300.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 299.92 लाख रु. था।

(चा) मुख्य शीर्ष "2215'' - "जल पूर्ति - नगरपालिका/नगर परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद''- 125.00 लाख रु.।

(छा) मुख्य शीर्ष "2217'' - "सामान्य - नगरपालिका/नगर परिषद - पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद''- 125.00 लाख रु।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2801'' - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - अन्य व्यय - विद्युत की खरीद'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 322.06 लाख रु. का अधिक व्यय (5800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक की कीमतों में वृद्धि होने और सूर्यचक्र विद्युत निगम लिमिटेड को रोकी गई राशि जारी किए जाने के कारण हुआ।

(III) छः शीर्षों के अंतर्गत 463.46 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु

2.(I) The above savings were partly (Rs.1416.14 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure-II to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2215" – "Water Supply – Rural Water Supply Programme – Rural Piped Water Supply" – Rs. 200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.200.53 lakhs.

(B) Major Head "2515" – "Gram Panchayat - Aids to Gram Panchayat" - Rs.204.14 lakhs. Actual excess, however, was Rs.203.77 lakhs.

(C) Major Head "2202" – "Elementary Education - Other Expenditure - Mid Day Meals"- Rs.260.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.259.94 lakhs.

(D) Major Head "2203" – "Polytechnics - Strengthening of Third Technician Education with World Bank Assistance" – Rs.202.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.22 lakhs.

(E) Major Head "3052" – "Coastal Shipping - Shipping Services – Operational Charges of Mainland - Islands vessels" - Rs.300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.299.92 lakhs.

(F) Major Head "2215" – "Water Supply - Municipalities/ Municipal Council – Port Blair Municipal Council" – Rs.125.00 lakhs.

(G) Major Head "2217" – "General - Municipalities/ Municipal Council – Port Blair Municipal Council" – Rs.125.00 lakhs.

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "2801"- "Diesel/Gas Power Generation - Other Expenditure - Purchase of Power" – excess of Rs.322.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5800.00 lakhs) was due to hike in price of petrol, oil, lubricant and release of withheld amount to Suryachakra Power Corporation Limited.

(III) Under six heads excess of Rs.463.46 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not

100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 267 प्रतिशत तक था।

exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 267 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (233.98 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 836.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 28 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत हुईं। इसके अलावा, 15 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 3347.75 लाख रु. के अधिक व्यय की तुलना में 27 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 3581.73 लाख रु. की बचतें हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 233.98 लाख रु. की कुल बचतें हुईं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.233.98 lakhs) constituted 28 percent of the supplementary grant of Rs. 836.00 lakhs obtained in February, 2004 and 1 percent of the total sanctioned provision. Further, savings of Rs.3581.73 lakhs occurred under 27 major heads against excess of Rs.3347.75 lakhs under 15 major heads resulting in overall savings of Rs.233.98 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
ख- कृषि मंत्रालय	**B-Ministry of Agriculture**				
मुख्य शीर्ष "6425"	Major Head "6425"				
सहकारिता के लिए कर्ज	Loans for Co-operation				
मू.	O.	246.00	29.00	28.62	–0.38
पु.	R.	–217.00			
घ- विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	3092.00	2142.00	2006.47	–135.53
पु.	R.	–950.00			
द- भूतल परिवहन मंत्रालय	**R-Ministry of Surface Transport**				
मुख्य शीर्ष "5052"	Major Head "5052"				
जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	4025.00	6015.00	6000.26	–14.74
पु.	R.	1990.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	3772.00	2987.00	2984.01	–2.99
पु.	R.	–785.00			
न- नागर विमानन विभाग	**T-Department of Civil Aviation**				
मुख्य शीर्ष "5053" नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	600.00	1280.00	1275.82	–4.18
पु.	R.	680.00			
फ- शहरी विकास मंत्रालय	**V-Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	713.00	1068.00	1061.00	–7.00
पु.	R.	355.00			
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	1400.00	1006.00	997.22	–8.78
पु.	R.	–394.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	888.00	606.00	607.80	+1.80
पु.	R.	–282.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष ''4515'' अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4515" Capital Outlay on Other Rural Development Programme					
मू.	O.	331.00		77.00	77.72	+ 0.72
पु.	R.	–254.00				

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत 34.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.34.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads.

(II) मुख्य शीर्ष ''6425'' - ''अन्य सहकारिताओं को कर्ज - अन्य सहकारिताएं'' के अंतर्गत 217.38 लाख रु. की बचत (246.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार द्वारा बाजार मध्यस्थता स्कीम का अनुमोदन न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6425"- "Loan to Other Cooperatives – Other Cooperatives" -saving of Rs.217.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.246.00 lakhs) was due to non-approval of market intervention scheme by the Government of India.

(III) मुख्य शीर्ष ''4801'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''डीज़ल गैस विद्युत उत्पादन''-

(क) ''उचंत - स्टॉक की खरीद''- 101.89 लाख रु. की बचत (372.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामग्री तथा उपस्करों के समय पर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य विद्युत गृह - विद्युत संयंत्र तथा अनुषंगी निर्माण कार्य''- 220.83 लाख रु. की बचत (898.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''पारेषण एवं वितरण - निदेशन और प्रशासन - पारेषण और वितरण पर व्यय''- 473.04 लाख रु. की बचत (895.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन - प्रशासन व्यय''- 177.70 लाख रु. की बचत (254.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(III) Under Major Head "4801" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Diesel Gas Power Generation" -

(a) "Suspense – Purchase of Stock"- saving of Rs.101.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.372.00 lakhs) was due to non-receipt of materials and equipments in time.

(b) "Other Power Houses - Power Plant and Ancillary Works" – saving of Rs.220.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.898.10 lakhs);

(B) "Transmission and Distribution – Direction and Administration – Expenditure on Transmission and Distribution" – saving of Rs.473.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.895.10 lakhs); and

(C) "General – Direction and Administration – Administration Expenditure" – saving of Rs.177.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.254.20 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें योजना स्कीम के अंतर्गत प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं क्योंकि बजट अनुमान तदर्थ आधार पर निर्धारित किया गया था।

(IV) मुख्य शीर्ष "5054'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "राज्य राजमार्ग''-

(क) "सेतु''- 166.62 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "सड़क निर्माण कार्य - अंडमान मुख्य सड़क''- 382.55 लाख रु. की बचत (1055.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "सामान्य - जनजातीय क्षेत्रउप योजना - सड़कों का निर्माण''- 203.42 लाख रु. की बचत (528.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(V) मुख्य शीर्ष "4202'' - "सामान्य शिक्षा'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा - भवन''- 121.14 लाख रु. की बचत (389.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "माध्यमिक शिक्षा - भवन''- 198.64 लाख रु. की बचत (376.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VI) मुख्य शीर्ष "4216'' - "सरकारी रिहायशी भवन-सामान्य पूल आवास - भवन'' के अंतर्गत 238.20 लाख रु. की बचत (808.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(VII) मुख्य शीर्ष "4515'' - "पंचायती राज - भवनों का निर्माण'' के अंतर्गत 253.28 लाख रु. की बचत (331.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें रेत और बजरी उत्पादों की उपलब्धता न होने के कारण हुईं।

(VIII) छः शीर्षों के अंतर्गत 417.12 लाख रु. की बचत हुई, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00

Savings under the above three heads were due to reduction of provision under plan scheme as budget estimate was fixed on ad-hoc basis.

(IV) Under Major Head "5054" – savings occurred under the following heads:-

(A) "State Highways" –

(a) "Bridges" – saving of Rs.166.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs);

(b) "Road works – Andaman Trunk Road" – saving of Rs.382.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1055.00 lakhs);

(B) "General – Tribal Area Sub-Plan - Construction of Roads" – saving of Rs.203.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 528.00 lakhs);

(V) Under Major Head "4202" – "General Education" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Elementary Education – Buildings" – saving of Rs.121.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.389.00 lakhs);

(B) "Secondary Education – Buildings" – saving of Rs.198.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.376.00 lakhs);

(VI) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – General Pool Accommodation – Building"- saving of Rs. 238.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.808.00 lakhs); and

(VII) Under Major Head "4515" – "Panchayati Raj – Construction of Buildings"- saving of Rs.253.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.331.00 lakhs).

Savings under the above seven heads were due to non-availability of sand and quarry products.

(VIII) Under six heads savings of Rs.417.12 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and

लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक थीं।

constituting 11 percent to 66 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2928.28 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांग के अनुबंध- II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4.(I) The above savings were partly (Rs.2928.28 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure-II to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''सामान्य - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - पोतों की खरीद''- 1907.28 लाख रु.।

(A) Major Head "5052"- "General - Tribal Area Sub-Plan – Purchase of ships"- Rs.1907.28 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष ''5053'' - ''विमानपत्तन - हवाई अड्डा - पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तन का निर्माण''- 680.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 675.82 लाख रु. था।

(B) Major Head "5053" –"Air Ports - Aerodromes – Construction of Port Blair Air Port"– Rs.680.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.675.82 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''सामान्य - निर्माण - सामान्य प्रशासन''- 341.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 341.75 लाख रु. था।

(C) Major Head "4059" – "General - Construction – General Administration"- Rs.341.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.341.75 lakhs.

(II) पांच शीर्षों के अंतर्गत 381.67 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 112 प्रतिशत तक था।

(II) Under five heads excess of Rs.381.67 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 112 percent of the sanctioned provision.